इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 17 | अंक संख्या 10 | मई, 2025 | पृष्ठों की संख्या - 09

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ 2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ 3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ 4
विनियामक के कथन 4
आर्थिक संवेष्टन 5
नयी नियुक्तियाँ 5
विदेशी मुद्रा 6
शब्दावली 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी 6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां 7
संस्थान समाचार 8
बाजार की खबरें 8
नयी पहलकदमी 9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति समिति की 7-9 अप्रैल को आयोजित बैठक की मुख्य बातें

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक समिति की 7-9 अप्रैल को आयोजित बैठक की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- रेपो दर 25 बीपीएस घटा कर 6.0% कर दी गई है।
- स्थायी जमाराशि सुविधा दर 5.75% रहेगी।
- सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंक दर 6.25% बनी रहेगी।
- 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5% पूर्वानुमानित है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हेडलाइन मुद्रास्फीति दिसंबर 2024 के 5.2% से घटकर फरवरी 2025 में 3.6% हो गई।

विकासात्मक एवं विनियामक नीतियों पर वक्तव्य: मुख्य बातें

- तनावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण बाजार-आधारित व्यवस्था के जरिए किया जाएगा ताकि जोखिम वितरण बेहतर हो तथा ऋणदाताओं को ऐसे एक्सपोजर से बाहर निकलने का रास्ता मिले।
- अधिक आबादी को संधारणीय ऋण उपलब्ध कराने हेतु सभी विनियमित संस्थाओं तथा सभी प्रकार के ऋणों को सह-उधार के दायरे में लाया जाएगा।
- सोने की गिरवी पर ऋणों हेतु विवेकपूर्ण मानदंडों तथा परिचालन पहलुओं पर व्यापक विनियम जारी किए जाएंगे।
- विनियमित संस्थाओं में गैर-निधि आधारित सुविधाओं पर लागू विनियमों में सामंजस्य लाया जाएगा।
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) व्यक्ति से व्यापारी को संव्यवहारों के लिए यूनीफाइड़ पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) में लेनदेन की सीमाओं को संशोधित करने वाला है। बैंक अपने पास अपनी आंतरिक सीमाओं (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर) का निर्णय करने का विवेकाधिकार बनाए रख सकते हैं।
- विनियामक सैंडबॉक्स को थीम-तटस्थ एवं ऑन-टेप बनाने का प्रस्ताव है।

भारत के बैंकों की चलनिधि आघात सह्यता को बेहतर करने हेतु चलनिधि कवरेज अनुपात में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने चलनिधि आघात सह्यता (LCR) मानदंडों को संशोधित किया है ताकि भारत में बैंकों की चलनिधि आघात सह्यता बेहतर हो तथा इससे संबन्धित दिशानिर्देश अबाधक तरीके से वैश्विक मानकों के अनुरूप हों। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग आधारित खुदरा व लघु व्यवसाय ग्राहक जमाराशियों पर रन-ऑफ दरों में 2.5% की वृद्धि की घोषणा की है। एक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों (स्तर 1 की उच्च गुणवत्ता वाली नकद आस्तियों (HQLA)) के बाजार मूल्य को हेयरकट के साथ, चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) एवं सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) के तहत मार्जिन आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजित करेगा। इसके साथ 'अन्य विधिक निकायों' से थोक निधियों के गठन को विवेकीकृत किया गया है। परिणामत:, न्यासों (शैक्षिक, दानार्थ और धार्मिक), भागीदारियों, सीमित देयता भागीदारियों आदि जैसे गैर–वित्तीय निकायो पर इस समय के 100% की बजाय 40% की न्यूनतर रन-ऑफ दर लागू होगी। ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।

विगत जोखिम और प्रतिफल सत्यापन एजेंसी (PaRRVA) को मान्यता तथा कार्यान्वयन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने विगत जोखिम और प्रतिफल सत्यापन एजेंसी (PaRRVA) की स्थापना की है जो सेबी-विनियमित व्यक्तियों अथवा उनके अभिकर्ताओं द्वारा निवेशकों को बेची जाने वाली सेवाओं के जोखिम-प्रतिफल मीट्रिक्स का सत्यापन करेगा। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, विगत जोखिम और प्रतिफल सत्यापन एजेंसी की भूमिका को अपनाएगी जबकि एक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज विगत जोखिम और प्रतिफल सत्यापन एजेंसी डेटा सेंटर (PDC) का कार्य करेगा। शुरू में, विगत जोखिम

और प्रतिफल सत्यापन एजेंसी प्रायोगिक तौर पर, दो माह के लिए कार्य करेगी।

पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ESG) रेटिंग वापस लेने हेतु सेबी द्वारा मानदंड जारी

पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ESG) रेटिंग वापस लेने हेतु सेबी ने मानदंड जारी किए हैं। नवीन मानदंडों के अनुसार कोई ईसीजी रेटिंग प्रदाता (ERP), उस स्थिति को छोड़कर जहां रेट किए गए जारीकर्ता या जारीकर्ता जिसकी प्रतिभूति रेट की गई है, ने कारोबार बंद कर दिया हो, या किसी अन्य कंपनी में विलयित या एकीकृत हो गया हो, ईसीजी रेटिंग को अब वापस नहीं ले सकेगा। ईसीजी रेटिंग प्रदाता एक सूचीबद्ध कंपनी की रेटिंग तब वापस ले सकेंगे यदि उस फर्म की कारोबार उत्तरदायित्व तथा संधारणीयता रिपोर्ट उपलब्ध न हो या रेटिंग के लिए अभिदाता न हों। साथ ही, प्रतिभूति की रेटिंग करते समय, रेटिंग प्रदाता रेटिंग वापस ले सकता है यदि इसने तीन वर्षों अथवा प्रतिभूति की अवधि के 50% के लिए फर्म की रेटिंग की हो।

सिस्टम तथा नेटवर्क लेखापरीक्षा रिपोर्टों के लिए सभी बाजार अवसंरचना संस्थाएँ (MIIs) सेबी के मानकीकृत प्रारूप का उपयोग करेंगी

सभी बाजार अवसंरचना संस्थाओं की सिस्टम तथा नेटवर्क लेखापरीक्षा रिपोर्टों के लिए सेबी मानकीकृत प्रारूप लेकर आया है। वित्त वर्ष 2024-25 में हुई लेखापरीक्षाओं से शुरू कर वर्तमान व पुराने दोनों लेखापरीक्षा मुद्दों के ट्रैकिंग को सरलीकृत करने हेतु प्रत्येक प्रेक्षण के लिए सेबी विशिष्ट पहचान आवंटित करेगा। बाजार अवसंरचना संस्थाओं को लेखा परीक्षा विवरणों यथा अवधि, पद्धति व प्रयुक्त साधनों के साथ लेखा परिक्षिती व लेखापरीक्षा दल के नाम, पते व संपर्क के विवरण जैसी प्रारम्भिक जानकारियाँ तथा सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण का खुलासा करना होगा। लेखा परीक्षा संगत विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा महसूस की गई किन्हीं तकनीकी बाधाओं की पहचान करेगी। इस नए ढांचे से डेटा की गुणवत्ता में सुधार होगा, विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन होगा तथा सभी स्टॉक एक्सचेंजों, समाशोधन निगमों व निक्षेपागारों के लिए लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की निगरानी में सुगमता लाएगी।

भारतीय नागरिकता रहित अभिदाताओं के एनपीएस खाते बंद होंगे: पीएफआरडीए

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA), द्वारा अद्यतन किए गए नियमों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं जो भारतीय नागरिकता छोड़ देते हैं और भारत के ओवरसीज नागरिक (OCI) होने का कार्ड नहीं रखते, के पीआरएएन /एनपीएस खाते बंद कर दिए जाएंगे। पीएफआरडीए ने ऐसे अभिदाताओं को कहा है कि वे अपनी स्थिति में बदलाव की जानकारी एनपीएस न्यास को दें तथा प्रमाण स्वरूप संबन्धित दस्तावेज़ प्रस्तुत करें। उनके खाते बंद कर दिए जाएंगे तथा समस्त संचित पेंशन निधि केवल अनिवासी सामान्य (NRO) खाते में अंतरित की जाएगी।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 10+ वर्ष के नाबालिगों को बैंक खाता खोलने व चलाने की अनुमति

बैंकिंग को युवा लोगों तक पहुंचाने और बालिग होने पर खाते के संचालन में सुविधा हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी उम्र के नाबालिगों को अपने नैसर्गिक या कानूनी संरक्षक के जरिए बचत व मियादी जमा खाते खोलने व चलाने की अनुमति दे दी है। 10+ वर्ष के नाबालिग अपना खाता स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं जो प्रत्येक बैंक द्वारा उनकी विशिष्ट जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार नियत की गई सीमाओं के अधीन होगा। युवा खाताधारकों को ऐसे खाते संचालित करने हेतु सभी शर्तों व निबंधनों की जानकारी दी जाएगी। बालिग होने पर, खाताधारक के नमूना हस्ताक्षर तथा नए परिचालन अनुदेश लेकर अभिलेख में रखे जाएंगे।

सभी विनियमित संस्थाएं 1 मई 2025 से अनिवार्यत: प्रवाह (PRAVAAH) पोर्टल का उपयोग करें: भारतीय रिज़र्व बैंक

सभी बैंकों, वित्तीय कंपनियों तथा अन्य विनियमित संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिदेश है कि अनुमति, लाइसेन्स तथा अनुमोदनों हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आवेदन भेजने हेतु 1 मई 2025 से प्रवाह (PRAVAAH) पोर्टल का उपयोग करें। विनियामक आवेदन, वैलिडेशन तथा आथोराइजेशन के लिए प्रवाह पोर्टल, मई 2024 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किया गया सुरक्षायुक्त पोर्टल है जिसका उद्देश्य भारतीय रिज़र्व बैंक से विभिन्न अनुमतियां लेने हेतु व्यक्तियों तथा कंपनियों द्वारा आवेदन करने के लिए एकल, सुरक्षित तथा सुगमतायुक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है।

बेहतर ग्राहक सेवा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा करेंसी वितरण व विनिमय के लिए प्रोत्साहन राशि देगा

करेंसी वितरण व विनिमय में बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकों को इस क्षेत्र में उनके निष्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगा। इस उद्देश्य हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित मास्टर निदेश के अनुसार, प्रोत्साहन राशि का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालय में वास्तव में प्राप्त निर्धारित (adjudicated) व मैले नोटों के आधार पर किया जाएगा। सिक्कों के मामले में, वितरण हेतु प्रोत्साहन राशि करेंसी चेस्ट से निवल निकासी के आधार पर अदा की जाएगी। समस्त प्रोत्साहन राशि संबन्धित बैंकों को करेंसी चेस्ट शाखा द्वारा, आनुपातिक आधार पर भेजी जाएगी।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

बैंक उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए '.bank.in' डोमेन अपनाएं: भारतीय रिज़र्व बैंक

डिजिटल भुगतान धोखाधड़ियों में तीव्र वृद्धि के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकों के लिए विशिष्ट '.bank.in' डोमेन शुरू किया है। इस कदम से बैंकिंग प्रणाली का साइबर सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ होगा जो डिजिटल बैंकिंग तथा भुगतान प्रणालियों में ग्राहकों के भरोसे को बढ़ाएगा। '.bank.in' डोमेन इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नालाजी (IDRBT) के जरिए लागू किया जाएगा। इस बदलाव को लागू करने के लिए बैंकों को 31 अक्तूबर 2025 तक का समय दिया गया है।

'एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' का चौथा चरण 1 मई 2025 से लागू

इस बात को ध्यान में रख कर कि एक राज्य में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के एक निकाय में एकीकरण के पूर्ववर्ती चरणों से दक्षता तथा लागत युक्तिकरण हासिल कर लिया गया है, वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS) ने इस अभियान का चौथा चरण शुरू कर दिया है। इस चरण में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में समेकित कर दिया जाएगा। इन शाखाओं का करीब 92% ग्रामीण/अर्धशहरी इलाकों में है। इस अभियान का कार्यान्वयन 1 मई 2025 से प्रारम्भ होगा।

विनियामक के कथन

वित्तीय बाज़ारों के लिए परिचालन में ईमानदारी तथा भरोसा अनिवार्य: श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव असोसिएशन ऑफ इंडिया – प्राइमरी डीलर्स असोसियेशन ऑफ इंडिया (FIMMDA-PDAI) के सम्मेलन में बीज वक्तव्य देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि वित्तीय बाज़ार आर्थिक विकास के मुख्य चालक हैं क्योंकि इनके जरिए पूंजी जुटाई जाती है तथा वित्तीय आस्तियों का व्यापार होता है। वित्तीय बाज़ारों का विनियमन परिचालनों में ईमानदारी तथा भरोसा बढ़ाने पर टिका है। भारत के वित्तीय बाजार विनियमित तंत्र में विकसित हुए हैं किंतु ये निरंतर, परिवर्तनशील विनियामक दर्शनों व दृष्टिकोणों को भी अपनाते रहे हैं। श्री मल्होत्रा ने कहा कि देश की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु वित्तीय बाज़ारों द्वारा दक्ष व किफ़ायती निधियन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता होगी। उन्हें अपने जोखिमों का बखूबी प्रबंधन करने में समर्थ होना चाहिए। अपने आगे बढ़ने के साथ उन्हें प्रत्येक हितधारक के प्रति उचित व्यवहार सुनिश्चित करना होगा तथा खुद को सुदृढ़, आघात सह्य तथा भविष्य के लिए तैयार बनाना होगा।

स्थिर तथा उत्पादक निवेश के लिए भारत स्वर्ग है: श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

कन्फ़ेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (CII) तथा यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) द्वारा आयोजित यूएस-इंडिया आर्थिक फोरम को संबोधित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने अमरीकी उद्योग जगत से भारत में निवेश करने का आवाह्न किया। श्री मल्होत्रा ने ज़ोर दिया कि भारत की मौद्रिक, वित्तीय एवं राजनीतिक स्थिरता, नीति निरंतरता एवं निश्चितता, सौहार्दपूर्ण व्यावसायिक वातावरण तथा मजबूत व्यापक आर्थिक आधार इसे दीर्घकालिक और उत्पादक निवेशों हेतु आकर्षक निवेश विकल्प बनाते हैं। बैंकिंग क्षेत्र आघात सह्य है अच्छे तुलनपत्र वाला है तथा अर्थव्यवस्था की वृहद निधियन जरूरतों को पूरा करता चला आ रहा है। गवर्नर महोदय ने आगे सरकार की अग्रसक्रिय नीतियों की चर्चा की जो अन्तरिक्ष, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत वाहन जैसे संभावनापूर्ण क्षेत्रों में अतुलनीय निवेश अवसर प्रस्तुत कर रही हैं।

जलवायु परिवर्तन जोखिमों से चूक की संभावनाओं बढ़ सकती हैं: श्री राव, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

भारत क्लाइमेट फोरम द्वारा आयोजित क्रेडिट समिट 2025 में अपने वक्तव्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम राजेश्वर राव ने चेताया कि जलवायु परिवर्तन उधारकर्ताओं के लिए अतिरिक्त परिचालन लागतें खड़ी कर सकता है जिसके साथ उनकी आस्तियों की हानि की ज्यादा संभावना हो सकती है। इससे उधारकर्ताओं द्वारा चूक करने की संभावना बढ़ेगी। श्री राव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन तथा अर्थव्यवस्थाओं/समाज पर इसके प्रभावों के मद्दे नज़र इनका सामना करने हेतु हमें सहयोगात्मक तथा संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि सबसे पहली जरूरत राष्ट स्तरीय वर्गीकरण (taxonomy) की है। दूसरा आधार जलवायु परिवर्तन जोखिमों के आकलन के प्रति स्थिर व सामंजस्यपूर्ण विनियामक दृष्टिकोण तथा संबंधित वित्तपोषण को प्रोत्साहन देना होगा। अगला आधार सुदृढ़ बीमा (assurance) व सत्यापन व्यवस्था है। इनमें चतुर्थ जलवायु संबंधित प्रकटनों में पारदर्शिता लाना है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ वित्तीय समावेशन को गरिमामय तथा पारदर्शी तरीके से लागू करें: श्री स्वामीनाथन जे, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के एक सम्मेलन में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे ने सतर्क किया कि वित्तीय समावेशन ग्राहकों के वित्तीय शोषण के बहाने से बिलकुल उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र द्वारा वित्तीय समावेशन ग्राहकों के साथ गरिमा, पारदर्शिता तथा सेवा के व्यवहार के साथ ही लागू किया जाना चाहिए। उचित व्यवहार तथा ग्राहक-केंद्रित संस्कृति के लिए प्रतिबद्धता अनिवार्य होनी चाहिए तथा यह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के सीईओ तथा बोर्ड द्वारा नीचे के सभी स्तरों तक पहुंचाई जानी चाहिए। चूक के मामलों में, वसूली प्रक्रिया सहानुभूतिपूर्ण व सम्मानजनक तरीके से की जानी चाहिए। आंतरिक व बाहरी दोनों हेतु आश्वस्तता तंत्र मजबूत किया जाना चाहिए। जोखिम लेने का कार्य होशियारी से किया जाए तथा यह सुनियोजित हो। आस्ति-देयता के बेमेल होने, निधियाँ के स्रोतों की प्रकृति व टेनर तथा संकेन्द्रण जोखिम सभी बोर्ड-स्तरीय निगरानी में तथा सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रणों से भली प्रकार समर्थित होने चाहिए।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी इसकी मासिक आर्थिक समीक्षा, मार्च 2025 की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- यथा सितंबर 2024, बैंकिंग क्षेत्र का सकल अनर्जक आस्ति (GNPA) अनुपात घट कर 2.6% रहा।
- वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में चालू खाता घाटा सिकुड़ कर जीडीपी का 1.1% हो गया जो पूर्ववर्ती तिमाही में 1.8% था।
- मांग में मजबूती तथा नए व्यवसाय अंतर्वाह में एक और उठान से कंपनियों को लाभ के चलते भारत का सर्विसेज पर्चेजिंग मैनेजर्स सूचकांक (PMI) बढ़ कर मार्च 2025 में 58.5 हो गया।
- यथा 21 मार्च 2025, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) ने 11% की ऋण वृद्धि दर्ज की। इस अवधि में जमाराशि वृद्धि 10.3% (विलयन के प्रभावों को छोड़कर) रही।
- मार्च 2025 में, कुल निर्यातों में वर्षानुवर्ष 2.7% की वृद्धि हुई और यह 73.6 बिलियन अमरीकी डालर रहा जबकि निर्यात वर्षानुवर्ष 4.9% की वृद्धि के साथ 77.2 बिलियन अमरीकी डालर रहा।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट 'भारत में महिलाएं और पुरुष 2024' के अनुसार सभी बैंक खातों में 39.2% महिलाओं के हैं तथा कुल जमाराशियों में उनका अंशदान 39.7% है।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
डॉ. पूनम गुप्ता	उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	25 अप्रैल 2025 के दिन करोड रुपए	25 अप्रैल 2025 के दिन मिलियन अमरीकी डॉलर	विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में प्रवृत्तियाँ (मिलियन अमरीकी डॉलर) पिछले 6 माह
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	5879208	688129	
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4960996	580663	
1.2 सोना	720785	84365	
1.3 विशेष आहरण अधिकार	158817	18589	
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	38610	4512	

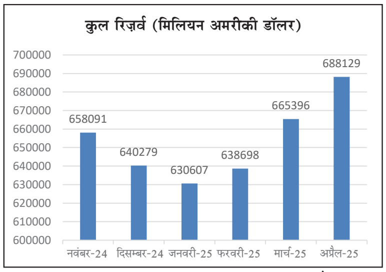

नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

30 अप्रैल 2025 की स्थिति अनुसार एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARR) की आधार दरें, मई 2025 माह हेतु लागू

एआरआर	दर
SOFR (अमरीकी डॉलर)	4.36
SONIA (जीबीपी)	4.459
STR (यूरो)	2.167
TONA (जापानी येन)	0.476
CORRA (कनाडाई डॉलर)	2.7500
AONIA (आस्ट्रेलियाई डॉलर)	4.10
SARON (स्विस फ्रैंक)	0.196361

एआरआर	दर
OCR (न्यूजीलैंड डॉलर)	3.5
SWESTR (स्वीडिस क्रोन)	2.139
SORA (सिंगापुर डॉलर)	2.1066
HONIA (हांगकांग डॉलर)	4.17578
MYOR (म्यांमार रुपया)	3.00
DESTR (डैनिश क्रोन)	1.8050

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

रन-ऑफ दर

रन-ऑफ दर जमाराशियों का वह प्रतिशत है जिसे एक बैंक तनाव की अल्पावधि में निकासी किए जाने की आशा करता है। इससे बैंकों को उनकी चलनिधि आवश्यकताओं का आकलन करने तथा यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि संभावित निकासियों को पूरा करने हेतु उनके पास उच्च गुणवत्ता वाली पर्याप्त नकद आस्तियां (HQLAs) हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

निधिकृत ब्याज मियादी ऋण (FITL)

एक निधिकृत ब्याज मियादी ऋण, एक ऋण को चुकाने हेतु ऋण देना है। यह ऋण का एक प्रकार है जिसमें ऋणदाता ऋणी को एक

मौजूदा ऋण पर ब्याज का भुगतान पूरा करने हेतु ऋणी को निधियाँ प्रदान करता है। इससे ऋणी को ऋण चुकाने के लिए समय मिल जाता है और बैंक खाते को अनर्जक आस्ति (NPA) में बदलने से बचा ले सकता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

मई 2025 माह हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

<table>
<tr><th>कार्यक्रम</th><th>तिथियाँ</th><th>स्थल</th></tr>
<tr><td>शाखा प्रबंधकों हेतु नेतृत्व व सॉफ्ट स्किल्स विकास पर कार्यक्रम</td><td>12-13 मई, 2025</td><td>आईआईबीएफ, पीडीसी-चेन्नई</td></tr>
<tr><td>प्रमाणित ट्रेजरी पेशेवर हेतु परीक्षा उपरांत प्रशिक्षण</td><td>12-14 मई, 2025</td><td>वर्चुअल</td></tr>
<tr><td>ग्राहक सेवा उत्कृष्टता एवं ग्राहक शिकायत समाधान प्रक्रिया पर कार्यक्रम</td><td>14-15 मई, 2025</td><td>आईआईबीएफ, पीडीसी-चेन्नई</td></tr>
<tr><td>प्रमाणित ट्रेजरी पेशेवर हेतु परीक्षा उपरांत प्रशिक्षण</td><td>14-16 मई, 2025</td><td rowspan="7">वर्चुअल</td></tr>
<tr><td>केवाईसी/एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के विशेष संदर्भ में बैंकों/एनबी एफसी/एफआई/एसएफबी में अनुपालन संस्कृति में सुधार लाने पर कार्यक्रम</td><td>14-16 मई, 2025</td></tr>
<tr><td>कारगर शाखा प्रबंधन पर कार्यक्रम</td><td>14-16 मई, 2025</td></tr>
<tr><td>बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में परिचालन जोखिम के प्रबंधन पर कार्यक्रम</td><td>14-16 मई, 2025</td></tr>
<tr><td>निर्यात तथा आयात संव्यवहारों संबंधी दिशानिर्देशों पर कार्यक्रम</td><td>16-17 मई, 2025</td></tr>
<tr><td>बैंकों के आंतरिक लेखापरीक्षकों हेतु कार्यक्रम</td><td>21-22 मई, 2025</td></tr>
<tr><td>तुलन पत्र अध्ययन एवं अनुपात विश्लेषण पर कार्यक्रम</td><td>21-22 मई, 2025</td></tr>
<tr><td>शाखा प्रबंधकों हेतु नेतृत्व व सॉफ्ट स्किल्स विकास पर कार्यक्रम</td><td>21-23 मई, 2025</td><td>लीडरशिप डेवलपमेंट सेंटर, कुर्ला (प), मुंबई</td></tr>
<tr><td>अपने ग्राहक को जानें (KYC), धन शोधन (AML) तथा आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने पर (CFT) कार्यक्रम</td><td>21-23 मई, 2025</td><td>वर्चुअल</td></tr>
<tr><td>वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य में कृत्रिम मेधा के उपयोग पर कार्यक्रम</td><td>22-23 मई, 2025</td><td>लीडरशिप डेवलपमेंट सेंटर, कुर्ला (प), मुंबई</td></tr>
<tr><td>बिजनेस अनलिटिक्स, मशीन लर्निंग व कृत्रिम मेधा तथा बैंकों हेतु इनके प्रभाव पर कार्यक्रम</td><td>27-29 मई, 2025</td><td>वर्चुअल</td></tr>
</table>

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ ने अपना 97वां स्थापना दिवस मनाया

आईआईबीएफ ने 30 अप्रैल 2025 को अपनी स्थापना के 97 वर्ष पूरे कर लिए है। सेवा के अपने 97 वर्षों में संस्थान अपने शैक्षणिक प्रयासों, परीक्षाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए बैंकिंग व वित्त जगत में अग्रणी संस्थान के रूप में उभरा है।

आईआईबीएफ द्वारा सूक्ष्म वित्तः हाल के बदलाव, चुनौतियाँ तथा अवसर पर अभिमुखता कार्यक्रम का आयोजन

आईआईबीएफ 14 मई 2025 को सूक्ष्म वित्त: हाल के बदलाव, चुनौतियाँ तथा अवसर पर अभिमुखता कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। मुख्य वक्ता इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल मैनेजमेंट आनंद के निदेशक डॉ उमाकांत दाश, सा-धन के कार्यपालक निदेशक व सीईओ श्री जिजी मम्मन, नाबार्ड के महाप्रबंधक-सूक्ष्म वित्त व वित्तीय समावेशन होंगे। कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त की व्यापक शैक्षणिक जानकारी देने की दृष्टि से तैयार किया गया है।

आगामी अंक हेतु बैंक क्वेस्ट का विषय

अप्रैल-जून 2025 तिमाही के लिए बैंक क्वेस्ट के आने वाले अंक हेतु विषय 'नेट जीरो बैंकिंग' रखा गया है। उप-विषय हैं : दायित्वपूर्ण बैंकिंग, हरित बॉन्ड, हरित वित्तपोषण का अंगीकरण।

परीक्षाओं हेतु दिशानिर्देशों/महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए कट-ऑफ तिथि

संस्थान ने प्रत्येक परीक्षा में हाल की घटनाओं/विनियामक(कों) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विषय में प्रश्न पूछने की प्रथा बना रखी है ताकि यह पता चल सके कि क्या अभ्यर्थी नए बदलावों की जानकारी रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि एवं परीक्षा की वास्तविक तिथि के बीच घटनाओं/दिशानिर्देशों में परिवर्तन हो सकता है। इन मुद्दों के कारगर समाधान के लिए निर्णय लिया गया है कि (i) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष में मार्च से अगस्त माह की अवधि में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु, प्रश्नपत्र में, केवल 31 दिसंबर तक विनियामक(कों) द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग व वित्त जगत में महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया जाएगा (ii) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष में सितंबर से फरवरी माह की अवधि में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु, प्रश्नपत्र में, केवल 30 जून तक विनियामक(कों) द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग व वित्त जगत में महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया जाएगा।

बाजार की खबरें

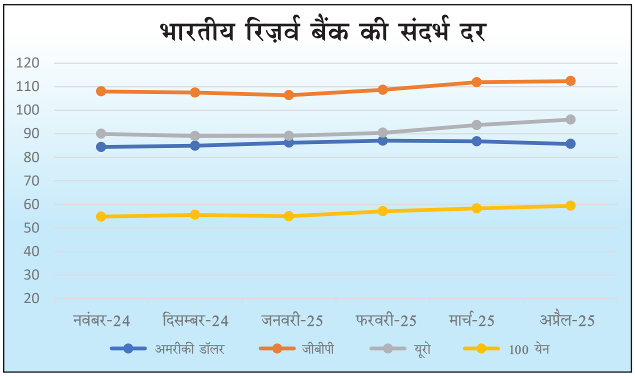

स्रोत: एफबीआईएल

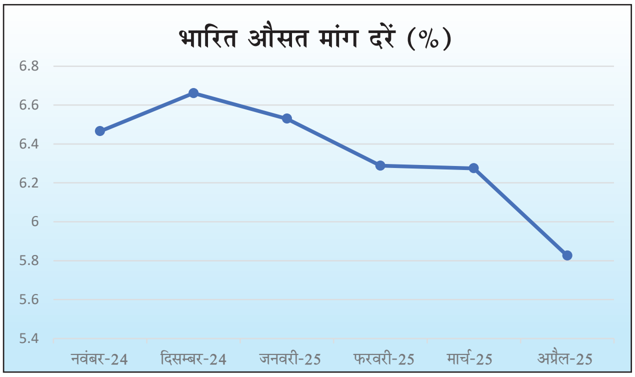

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूज़लेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

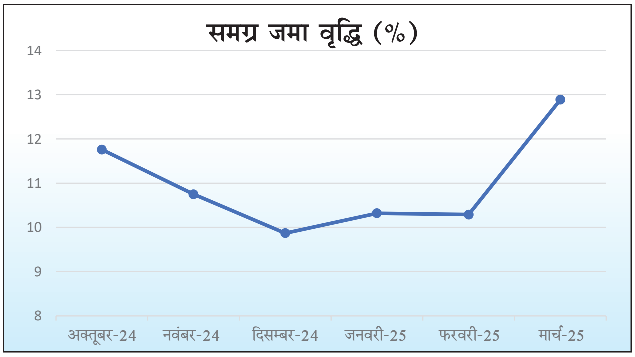

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अप्रैल, 2025

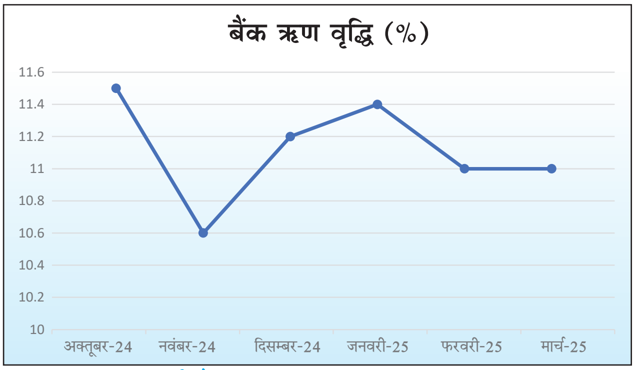

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

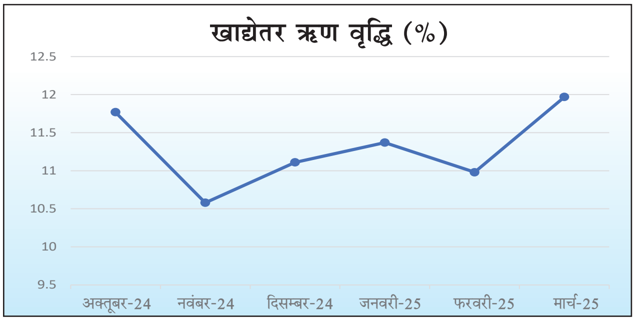

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अप्रैल, 2025

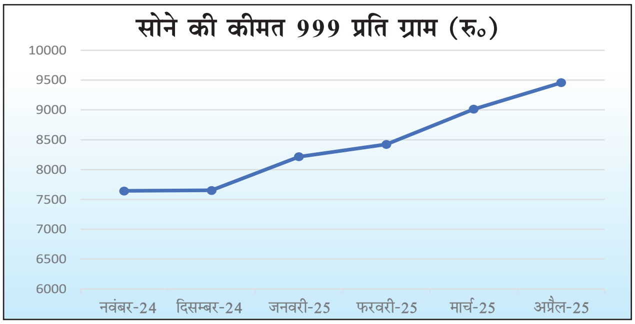

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

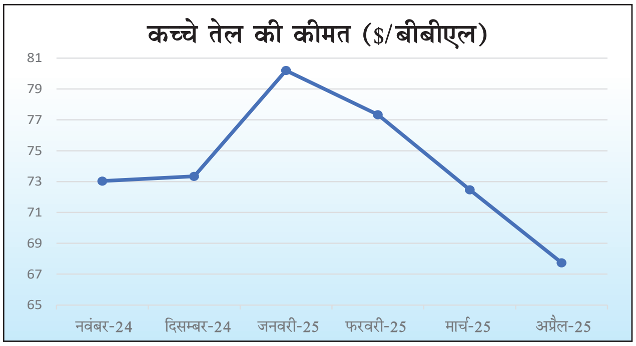

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

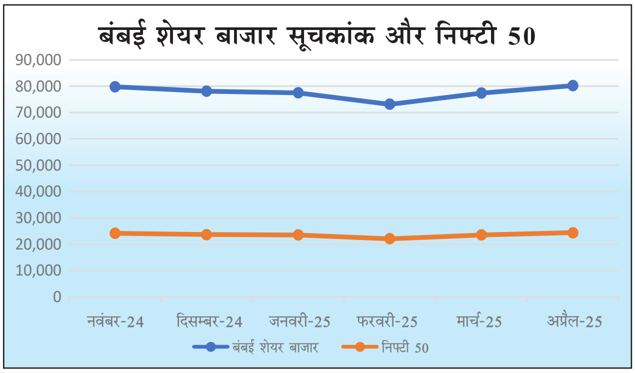

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई–मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई–मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W),
Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in